

प्रपत्र-४

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्रीपावास
प मूअनि कोटड़ी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगर / नायब
तहसीलदार गिजुड की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम श्रीपावास तहसील रेलमगर व
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या ४४ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
०१	श्रीपावास	४४	मुकेश पुत्र किशना हिस्सा 112 जाति - गुर्जर सा. 3E खालिडार शहिन हिस्सा 112 (पूर्ण खाल) 5805 शाखा रामपुरा दरीबा	मुकेश पुत्र किशना हिस्सा 112 जाति - गुर्जर सा. 3E खालिडार शहिन हिस्सा 112 (पूर्ण खाल) 5805 शाखा रामपुरा दरीबा

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द

क्रमांक - 2025/142
प्रतिलिपि -

दिनांक :- 3/11/25

- 1 तहसीलदार रेलमगर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
- 2 प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
- 3 शक्ति पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द